राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 580/2018

भंवर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी (सी.बी.), पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, भरतपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.05.2018
आदेश की दिनांक : 12.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुणाल रावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति (गैलेण्ट्री) देने हेतु विचार किया जावे और अपीलार्थी को उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जावे, जिस प्रकार दो अन्य सदस्यों को विशेष पदोन्नति दी गई है, उसी प्रकार अपीलार्थी को भी उक्त पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की जावे तथा शेष राशि का भी भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 17.05.1990 को हुई थी और उसे वर्ष 1998 में विशेष पदोन्नति (गैलेण्ट्री) के तहत हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध

सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2013 में सूचना दी गई और योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2013 में पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी दस्यु उन्मूलन नियंत्रण कक्ष, धौलपुर में पदस्थापित था और कुख्यात दस्यु राजेन्द्र गुर्जर सेरोन व साथी राम अख्तयार गुर्जर को पकड़ने में अपीलार्थी ने अहम भूमिका अदा की, जिसमें दस्युओं को उक्त मुठभेड में मार गिराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मामले के संबंध में श्री रामवीर सिंह, एएसआई एवं श्री अजब सिंह की विशेष पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई, परंतु अपीलार्थी एवं श्री लोकेन्द्र सिंह के नाम को अभिशंषा में हटा दिया गया। तदुपरान्त अपीलार्थी पुलिस अधीक्षक को उक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 11.06.2014 को अभ्यावेदन दिया, जिसमें पुलिस महानिदेशक द्वारा दिनांक 12.06.2014 को अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उसका नाम विशेष पदोन्नति हेतु नहीं जोडा गया है और उसे रूपये 5,000/– राशि का पुरूस्कार दिया गया है। जबकि अपीलार्थी ने पूरी निष्ठा और वीरतापूर्ण उक्त मामले में कार्य किया है। फिर भी अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया, जो नियमों के विरूद्ध है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को भिजवाते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति (गैलेण्ट्री) देने हेतु विचार किया जावे और अपीलार्थी को उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जावे, जिस प्रकार दो अन्य सदस्यों को विशेष पदोन्नति दी गई है, उसी प्रकार अपीलार्थी को भी उक्त पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की जावे तथा शेष राशि का भी भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि कुख्यात ईनामी दस्यु राजेन्द्र गुर्जर को पुलिस मुठभेड में मार गिराने में महत्वपूर्ण एवं साहसी भूमिका के फलस्वरूप श्री रामवीर, अजब सिंह, लोकेन्द्र सिंह एवं अपीलार्थी को पदोन्नति/उचित पुरूस्कार प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव महानिदेशक, जयपुर को भेजा गया था, जिसके क्रम में रिवार्ड कमेटी के द्वारा प्रस्तावों का विवेचन कर पदोन्नति/पुरूस्कार प्रदान किए गए हैं। अपीलार्थी का कार्य साधारण एवं सहयोगात्मक होने के कारण राशि 5000/– नकद ईनाम मय प्रशंसा पत्र के प्रदान किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी विशेष पदोन्नति पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 17.05.1990 को हुई थी और उसे वर्ष 1998 में विशेष पदोन्नति (गैलेण्ट्री) के तहत हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया एवं सहायक उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2013 में अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी को वीरता एवं शौर्यपूर्ण तथा जोखिम भरे कार्य करने पर विशेष पदोन्नति (गैलेण्ट्री) नहीं दिए जाने एवं उसकी टीम में अन्य सदस्यों को विशेष पदोन्नति दिए जाने का प्रश्न है, चूंकि हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि कुख्यात ईनामी दस्यु राजेन्द्र गुर्जर को पुलिस मुठभेड में मार गिराने में महत्वपूर्ण एवं साहसी भूमिका के फलस्वरूप टीम के कुछ सदस्यों को विशेष पदोन्नति एवं कुछ कार्मिकों को उचित पुरूस्कार प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव महानिदेशक, जयपुर को भेजा गया था, जिसके क्रम में रिवार्ड कमेटी के द्वारा प्रस्तावों का विवेचन कर पदोन्नति/पुरूस्कार प्रदान किए गए हैं। अपीलार्थी का कार्य साधारण एवं सहयोगात्मक होने के कारण राशि 5000/– नकद ईनाम पुरूस्कार मय प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति प्रदान किए जाने हेतु अभिशंषा की गई हो, अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य